राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(हैदराबाद 014-3227299. Email: pdme2k_rdd@yahoo.com)
कर्मांक 4(21) / ग्रामीण / अनु-8 / बीसी / 2016 /
जयपुर, दिनांक: 16 MAY 2019

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास, गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, स्वविवेक, डांग, मगरा एवं मेवात IWMS के माध्यम से संचालित की जा रही है। दिनांक 14.5.2019 को आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिमुख्य कार्यकारी अधिकारी के विभिन्न कार्यक्रम के दौरान इन आंकड़ों में भिन्नता की स्थिति परिलक्षित हुई। इन आंकड़ों के सुधार हेतु राज्य मुख्यालय पर 11-11 जिलों की बैठक आयोजित की जा रही है।

विभिन्न कार्यक्रम हेतु राज्य सर्तर पर IWMS में दर्ज सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी संकलित पीपीटी जिलों को भिन्नवासी गयी है। इन आंकड़ों का अपने रिकॉर्ड से मिलान कर प्रत्येक आंकड़े को प्रमाणित कर जिले के परियोजना अधिकारी (लेखा), अधिवेशन अधिकारी (अभियंत्रीको) /योजना प्रभारी एवं समस्त योजना लिपिक के साथ प्रमाणित सूचनाओं एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ संचित जिला जाना सुनिश्चित किया गया।

इन आंकड़ों के मिलान उपरांत भविष्य में कभी बिगड़ी प्रगति, प्रारंभिक अवशेष, समायोजन व्यापद आदि में कोई कभी परिलक्षित होती है तो इस हेतु परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं योजना प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा।

जिलों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती है:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>कः/सः</th>
<th>दिनांक</th>
<th>जिले</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>28.5.2019</td>
<td>अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बांसा, बाँदेर, भरतपुर, शीर्षकर, बीकानेर, बुंदी, चित्तोड़गढ़, चुरू</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>29.5.2019</td>
<td>दोहरा, दीलपुर, दूरगपुर, श्रीगंगानगर, हुसैनाबाद, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, कुंभलंगड्ध, जोधपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>30.5.2019</td>
<td>कारोली, कोटा, नागर, पाली, पटाखागढ़, राजसमंद, स.माथोपुर, सीकर, सिरोही, टांक, उदयपुर</td>
</tr>
</tbody>
</table>
निर्धारित तिथि पर चुनाव दृष्टि या अन्य कारणवश मुख्यालय पर आने में असमर्थ हो तो पूर्व अनुमति से उक्त तिथियों या अन्य तिथियों पर समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित होगें। समस्त समीक्षा अध्यात्मिकता के निर्देशन में की जायेगी।

ग्रामीण विकास का समस्त योजनाओं की सी.ए. आडिट वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट हर हालां में 30 जून 2019 को मुख्यालय पर भिजवायी जायें। इस हेतु परियोजना अधिकारी (लेखा) व्यविधान पाबंद कर सकेंगे। किसी भी विलम्ब के लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही अंतर्गत में लायी जायेगी।

एमएनए लैड योजना में विधान सभा क्षेत्रार्थ सी.ए.आडिट कराई जाए तथा सभी विधान सभा क्षेत्रों की सी.ए. आडिट रिपोर्ट का इक्काई कर जिले की सी.ए. आडिट रिपोर्ट राज्य स्तर पर भिजवाई जाए।

एमपी लैड राज्य सभा सांसद की सी.ए.आडिट रिपोर्ट भी राज्य स्तर पर भिजवायी जाए।

इन निर्देशों को सर्वथा प्राथमिकता देते हुए कड़ाई से पालना की जाये।

(राजेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण एवं पंचायत।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं अपरिवर्तित, पंचायती राज।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महालोक गांवी नरेगा।
4. निजी सचिव, विभिन्न शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. जिला कलकटर, समस्त, राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण।
7. परियोजना निदेशक एवं पदन्त संयुक्त सचिव (वित्त एवं लेखा), ग्राम.वि।।
8. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (एमपीए / मोएमू), ग्राम.वि।।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले, राजस्थान।
10. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद, समस्त राजो।
11. अधिशासी अभिमंत्रण / योजना प्रभारी, जिला परिषद, समस्त, राजो।
12. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सूचना सहायक, ग्रामीण विकास को संबंधित का ई-वेल करने हेतु।
14. संकेत पत्रावली।

16 दिसंबर 19
परिनिद, एवं उप सचिव
(भो एवं मू)